गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

गुजरात की पावन धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुजरात की भूमि हमारे देश की सांस्कृतिक – ऐतिहासिक – राजनीतिक धरोहर है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की यह पावन धरती हमारी शाश्वत प्रेरणा है।

आज इस प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कैंपस में आकर बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। यह कैंपस लघु भारत की तरह है। मुझे बताया गया है कि देश के कई राज्यों से यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ एलएलबी, एलएलएम करते हैं, यहाँ से पीएचडी करते हैं। यहाँ से अध्ययन कर हमारे युवा देश और दुनिया के कानूनी क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं।

प्रिय विद्यार्थियों, आपको देश की इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है।

कानून के जानकारों और कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे हम आजादी के आंदोलन में देखें या आजादी के आंदोलन के बाद देश के नवनिर्माण की बात करें; इन सबमें हमारे जिन महान नेताओं का योगदान रहा, उनमें से अधिकतर लॉ के विशेषज्ञ थे। यह भी एक कारण था कि आजादी के कठिन संघर्ष में हम सफल रहे।

देश की आजादी के बाद संविधान के निर्माण में, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी हों, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी हों, सी. राजगोपालाचारी जी हों, इन विधि विशेषज्ञों की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो ना सिर्फ दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, बल्कि जीवंत और कार्यशील संविधान भी है। आज भी यह संविधान हमारे देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सूत्रधार है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।

आज हमें अपने संविधान पर गर्व है। देश की आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा में संविधान के माध्यम से हमने अपने लोकतंत्र को सशक्त किया है और देश में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन किया है।

हमारे संविधान के अंदर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका.... ये शासन के तीन अंग हैं। ये सभी संविधान द्वारा दिए गए अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहकर काम करते हैं। आजादी के बाद 75 वर्षों में शासन के तीनों अंगों की भूमिका से ही हमारा देश आगे बढ़ा है। देश का सम्पूर्ण विकास तभी संभव है जब शासन के तीनों स्तम्भ एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए निष्ठापूर्वक अपनी अपनी भूमिका निभाएं। इससे हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोगों की आस्था विश्वास में भी वृद्धि होगी।

हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता, न्याय और समानता के आदर्श हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, “हम भारत के लोग।” यह संवैधानिक मूल्यों के प्रति सभी देशवासियों की एकजुटता को दर्शाता है।

हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम भारत के लोग मिलकर देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के देश को सामूहिक संकल्प और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाना है।

इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आप कानून का अध्ययन कर रहे हैं, कानून का दायरा बहुत व्यापक है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। एक अच्छा करियर ऑप्शन होने के साथ साथ यह राष्ट्र सेवा का बेहतरीन माध्यम भी है।

कानून के जानकारों से मेरी अक्सर चर्चा होती है। आज जो विद्यार्थी लॉ कर रहे हैं, उनमें टैलेंट बहुत हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में लॉ फील्ड के जो भी विभिन्न पहलू हैं, जैसे कॉर्पोरेट, टैक्स,

संविधान, अंतर्राष्ट्रीय विधि, ट्रेड, टॉर्ट सहित कई विषय हैं जिनमें संभावनाएं हैं। ऐसे में आप लोगों को अपना बेस्ट परफार्म करने के लिए बहुआयामी तरीके से आगे बढ़ना होगा।

आप कानून के अध्ययन के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में जागरूक रहें, आप अध्ययन करें कि किस प्रकार ये विषय हमारे देश और समाज को प्रभावित करते हैं और उनका क्या समाधान है। क्योंकि आज लॉ का दायरा बढ़ रहा है, तो हमें भी अपनी सोच एवं अपना दायरा बढ़ाना चाहिए।

हमारा नौजवान कानून के विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करें। उनमें पारंगत हो। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी महत्वपूर्ण जजमेंट्स का अध्ययन करें। एक विद्यार्थी की तरह तो सोचें ही, इसी के साथ एक एडवोकेट और जज के नजरिए से भी विचार करें।

संसद और लॉ के विद्यार्थियों में बड़ा संबंध है। क्योंकि भारत की संसद कानून बनती है, और आप स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप उन कानूनों का सुविचारित रूप से अध्ययन करें। इतने वर्षों में संसद ने जो कानून बनाए हैं, उनसे आम लोगों को अधिकार मिले हैं, आम जनजीवन में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आया है। संसद में बने कानूनों ने समाज के आखिरी व्यक्ति को भी एम्पावर किया है। चाहे संसद हो या राज्य की विधान सभा हो, हमारा मानना है कि संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन पर लंबी और सार्थक डिबेट्स होनी चाहिए। चर्चा ऐसी हो कि विधेयक के सभी प्रावधानों पर विचार सामने आयें। लेकिन ये चिंता का विषय है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है।

अब यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब पब्लिक डोमेन में कोई कानून जाता है, तब आप स्वयं अपने स्तर पर उनका अध्ययन करें। आप उस पर अपना सुझाव दें।

अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कानून के बारे में अपना फीडबैक दें। लॉ स्टूडेंट होने के नाते यह आपका नैतिक दायित्व है।

राष्ट्र के विकास में कानून के विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में एक्ट बनते समय या जब बाद में उनके अंदर नियम बनते हैं, जब वो पब्लिक डोमेन में आए, तब वहाँ आपके सुझाव, आपका फीडबैक अवश्य होना चाहिए। यह भी आपका नैतिक दायित्व है। आप जनता को सरल भाषा में सांझाएं कि इस कानून या इन नियमों का उनके ऊपर क्या प्रभाव है।

हमारे संविधान में अब तक इतने संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों को आप पढ़ें। इनके क्या इम्पैक्ट हैं, आप गहनता से अध्ययन करें और अपना इनपुट भी दें।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया है कि हमारे जो भी कानून हैं, जो आजादी के पहले के बने हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं, हम उनकी समीक्षा करें, उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें रिपील करें।

आज के समय में हमारे समाज और परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कानून बनें। हमारे कानून हमारी अपनी विधायिका द्वारा बनाए जाएँ। इसलिए, वर्तमान सरकार ने कई पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों को रिपील किया है। कानून के जिम्मेदार विद्यार्थी होने के नाते आप यह देखें कि और कहाँ गुंजाइश है। पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों का अध्ययन करें।

आईपीसी, सीआरपीसी सहित अन्य जो वर्तमान कानून हैं, उन्हे कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए आप सुझाव दें। जनप्रतिनिधियों और सरकार को इसकी जानकारी दें।

आप लॉ के स्टूडेंट्स होने के साथ कानून के सजग प्रहरी भी हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में आपकी सक्रिय भागीदारी हो। शासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आप अपने सुझाव दें। हमारे विशाल और विविध लोकतंत्र को अधिक समृद्ध बनाने के लिए अपना फीडबैक दें।

सरकार द्वारा शासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसका एक उदाहरण RTI ऐक्ट है। आरटीआई का उपयोग कर देश का साधारण नागरिक शासन के कामकाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे व्यवस्था पारदर्शी होती है। परंतु कई स्तरों पर ऐसे कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस प्रकार के कानूनों के नियोजित दुरुपयोग को किस तरह रोका जा सकता है, इस पर विचार करें ताकि इन कानूनों के पीछे विधायिका का जो इन्टेन्शन है, उसे पूरा किया जाए।

देश में जितने कानून बने हैं, उनका सही दिशा में उपयोग हो, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। भारत को दुनिया में अपनी सशक्त संवैधानिक परंपरा, समृद्ध लोकतान्त्रिक रीति और कानून के नियमों के लिए जाना जाता है। यह हमारी ताकत है।

आप जैसे नौजवान समर्पण भाव से देश को इस दिशा में और अधिक समृद्ध बनाने के लिए काम करें।

हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को न्याय का अधिकार दिया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिले, इसके लिए आप पूर्ण समर्पण के साथ काम करें। जो गरीब, वंचित, पीड़ित और जरुरतमन्द लोग हैं, आप उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता दें। अपनी पढ़ाई के दौरान आप अपने जीवन के कुछ वर्ष इस दिशा में समर्पित करें। अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस के साथ-साथ आप अपना सामाजिक दायित्व भी निभाएं। आप आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर, जरुरतमन्द लोगों की निःशुल्क पैरवी करें।

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39 (A) में भी जरुरतमन्द के लिए न्याय की संकल्पना की गई है। हम उसे साकार करें, यह हमारा दायित्व बनाता है।

निःशुल्क लीगल ऐड कैम्प के माध्यम से हम समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलवाने में उनकी सहायता करें। जब आप जैसे टैलेन्टेड युवा कोर्ट में अपनी काबिलियत और तर्कों के साथ

जरुरतमन्द लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे, जनता की न्यायिक प्रक्रिया और संविधान में आस्था और बढ़ेगी।

हमारे अंदर यह सोच नहीं आनी चाहिए कि देश में सिर्फ बड़े वकील ही न्याय दिला सकते हैं। यहाँ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट अपने आप में टैलेंटेड है। आप जरुरतमन्द व्यक्ति को अधिक संवेदना के साथ न्याय दिला सकते हैं। आप न्याय के क्षेत्र में आदर्श मानक प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऐतिहासिक रूप से कानूनविदों और कानून के छात्रों ने देश में अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि हर एक व्यक्ति तक न्याय को सुलभ बनाने की दिशा में आप और अधिक निष्ठा से काम करेंगे।

———